

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/2643,

जबलपुर, दिनांक २०/०९/२०२०

१०

श्री सुमित कुमार सोनी आत्मज श्री स्व. श्री राजेश नरवरिया को अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट के पद पर वेतनमान 4440—7440/- + ग्रेड पे रु. 1300) (7 वें वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500—49000) में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता हैः—

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं । यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतियों को लेकर उपस्थित होंगी । यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ—९/३/२००३/नियम/चार भोपाल, दिनांक १३—०४—२००५ के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेशन प्रणाली लागू होगी ।
5. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे ।
6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

//2//

7. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
8. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
9. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खण्डपीठ इंदौर/ ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
10. कर्मचारी को समय—समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
11. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
12. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय—समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
13. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 20/09/2020
10

पृष्ठांकन क्रमांक C/2644

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई/ई./क्ही.एल./ (निरी. एवं सतर्कता) / एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम—पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार, ई/पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
6. ओ.एस.डी. (सैट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक), लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

//3//

13. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/आई.एल.आर. एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्री सुमित कुमार सोनी आत्मज श्री स्व. श्री राजेश नरवरिया, पी. डब्ल्यू. डी कॉलोनी क्वाटर नं. 578, हाईकोर्ट पूल, जबलपुर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
[Signature]

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/2645,

जबलपुर, दिनांक 20/09/2020
10

श्री मनीष कुमार पटेल आत्मज स्व. श्री शंकर प्रसाद पटेल को अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त, कोर्ट अटेंडेंट/रूम अटेंडेंट/अटेंडेंट के पद पर वेतनमान 4440—7440/- + ग्रेड पे रु. 1300) (7 वें वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500—49000) में नियमानुसार समय—समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते हुये उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है:-

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे ।
2. यह कि इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड सहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविधालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं । यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतियों को लेकर उपस्थित होंगी । यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।
4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ—9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13—04—2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी ।
5. यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे ।
6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

7. यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
8. यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण—पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण—पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
9. कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
10. कर्मचारी को समय—समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
11. यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
12. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय—समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
13. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।


 (राजेन्द्र कुमार वाणी)
 रजिस्ट्रार जनरल
 जबलपुर, दिनांक 20/09/2020
 10

पृष्ठांकन क्रमांक C/2646/
प्रतिलिपि :-

1. प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.),
2. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी.ई./ई./ही.एल./ (निरी. एवं सतर्कता) /एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम—पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार, ई/पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु
5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
6. ओ.एस.डी. (सैट) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक), लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
13. प्रिसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/आई.एल.आर. एवं परीक्षा महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

// 3 //

14. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 15. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 16. श्री मनीष कुमार पटेल आत्मज स्व. श्री शंकर प्रसाद पटेल, मकान नं. 1269/1 राधाकृष्णन वार्ड, ठक्करग्राम, सिद्धबाबा नयी बस्ती, वार्ड-58 जबलपुर, म.प्र.
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)
राजस्ट्रार (प्रशासन)
Pan